



पत्रांक...../

प्रेषक,

मो० शफी अहमद
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, नालन्दा।

सेवा में,

प्रबंधक / व्यवस्थापक / प्राचार्य
प्रस्वीकृत निजी विद्यालय, नालन्दा।

बिहारशरीफ, दिनांक...../...../2016

विषय:- बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत अपने-अपने विद्यालय में 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत लिये गये नामांकित बच्चों का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 614 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में कहना है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत अपने-अपने विद्यालय (प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय) में वर्षवार अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत लिये गये नामांकित बच्चों एवं विद्यालय के संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं
सर्व शिक्षा अभियान, नालन्दा।

ज्ञापांक SSA/8647 बिहारशरीफ, दिनांक 23/07/2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर संबंधित निजी विद्यालयों से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

23/7/16
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं
सर्व शिक्षा अभियान, नालन्दा।

पत्रांक-8/व०3-55/2012-614
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

एम० रामचंद्रु, मा०प्र०से०
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)।

पटना, दिनांक 21/06/16

विषय:-

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत अपने-अपने जिलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत लिये गये नामांकित बच्चों का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में कहना है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत अपने-अपने जिलों में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में वर्षवार अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत लिये गये नामांकित बच्चों एवं विद्यालय के संबंध में सलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन



(एम० रामचंद्रु)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
21/6/16

Table with 5 columns: No., Name, Address, and two columns for phone numbers. Row 1: 1, 2011-12, [blank], [blank], [blank].

Table with 5 columns: No., Name, Address, and two columns for phone numbers. Row 1: 1, 2012-13, [blank], [blank], [blank].

Table with 5 columns: No., Name, Address, and two columns for phone numbers. Row 1: 1, 2013-14, [blank], [blank], [blank].

Table with 5 columns: No., Name, Address, and two columns for phone numbers. Row 1: 1, 2014-15, [blank], [blank], [blank].

